न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 301/17 निर्णय दिनांकः 14-11-17

1. गुड्डीदेवी पत्नी उदाराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मामराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 31—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये आवंटन प्रकिया व नियमों के विरूद्व अपीलांट का आवेदन पैण्डिंग रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट अपीलांट ने वर्ष 2000 में तत्कालीन आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष विधिवत आवंटन हेतु विशेष

आवंटन की श्रेणी में चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/51 में 17 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त पत्रावली क्षेत्राधिकार परिवर्तन होन पर उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के कार्यालय में प्राप्त होने पर दिनांक 30—12—2016 को कार्यवाही करते हुए उक्त रकबा पोंग बांध विस्थापितों हेतु आरक्षित होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया व अपीलांट को विकल्प में अन्य रकबा आवंटन करवाने का पात्र धोषित किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि दिनांक 13—01—2017 को उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विकल्प में चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 में 19.09 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया। जिस पर अपीलांट को आश्वासन दिया गया कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होने पर आपको भूमि आवंटित की जायेगी। तत्पश्चात् अपीलांटा अदालत मातहत से सम्पर्क करती रही। उसके पश्चात् दिनांक 11—09—2017 को अपीलांटा को आवंटन शाख द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी—जैर पर अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है, व अनआवेदित बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4\. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्ष 2007 में चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/19 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा होने के कारण उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को उपलब्ध नहीं हुई। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि के बदले में अन्य भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 की 20.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि विकल्प में आवंटित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को पूर्व में आवेदित रकबा अन्य को आवंटनशुदा होने के कारण विकल्प में अन्य भूमि का पात्र मानते हुए, पूर्व में आवेदित भूमि के विकल्प इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन व विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 की 20.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना में आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। जहॉ तक अपीलांट के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है अपीलांट अन्य भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट का आवंटन बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन इस आधार पर किया गया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/19 की अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। चूंकि उक्त आराजी पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विकल्प में अन्य भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 की 20.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 18–01–2017 को प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को विकल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 की 20.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की उनके द्वारा उक्त रकबे के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिस पर गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं है कि अपीलांट द्वारा उक्त आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट के प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी की किसी प्रकार की मार्किंग का अंकन नहीं है। जिससे यह अस्पष्ट है कि अपीलांटा द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र किस दिनांक को प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) अपीलांट का यह कथन कि उसके द्वारा पूर्व में आवेदित रकबा पोंग बांध हेतु आरक्षित होने पर विकल्प में अन्य रकबा का पात्र धोषित किया गया है, स्वीकार योग्य है। चूंकि दोनों ही पक्षकारों को पूर्व में भिन्न–भिन्न सहालकार समिति की बैठकों में सामान्य आवंटन त्रूटिवश पोंग बांध आरक्षित रकबे से विभागीय अवधानता से जारी किया गया। जिसके लिये विभागिय अधिकारियों ने उनसे विकल्प में अन्य भूमि आवंटन हेतु विकल्प पत्र मांगा ताकि उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटन की जा सके।

(5) ऐसी स्थिति में न्यालय द्वारा एक पक्षकार को उक्त मुरब्बा नम्बर चक नम्बर 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/11 की 20.09 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन करने से प्रार्थी के अधिकार व हकों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना साबित नहीं होता है। प्रार्थी किसी अन्य उपलब्ध रकबे हेतु आवंटन कर सकता है। केवल यह तर्क देकर कि उसी मुरब्बे हेतु उसका आवेदन जैरकार था उस पर कोई विचार नहीं किया गया, कोई अर्थ नहीं रखता है क्योंकि जिस आवेदक को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन किया गया है वह भी उसकी की तरह विभागीय त्रूटि का शिकार प्रार्थी रहा है। उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित हो चुकी है। अतः अपीलांट उक्त रकबे के अलावा अन्यत्र रकबे के आवंटन हेतु आज दिनांक को भी स्वतन्त्र है।

(6) ऐसी दशा में अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अपीलांट अन्य भूमि आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है। अपीलांट/प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विहित प्रकार से उक्त निर्णयानुसार अनुतोष की वांछा करें।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–01–2017 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक १५-११-१७ को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्रधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते